P1	R.M.M Law College - Saharsa Manvendra Mandal Parttime Lecturer	Subject - Drafting and Pleading part - II

अपील का ज्ञापन (Memorandum of appeal)

अपील अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में निहित कमियों, त्रुटियों आदि को सुधारने का एक उपक्रम है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में ऐसे निर्णय आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

अपील का प्रस्तुतीकरण → सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 में appeal के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक अपील अपील कर्ता या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के बाद सक्षम न्यायालय में उसके प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

अपील के ज्ञापन के साथ उस डिक्री की, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है और उस निर्णय की, जिस पर वह डिक्री आधारित है उसकी सच्ची प्रतिलिपि संलग्न की जायगी और साथ ही साथ वकालतनामा भी पेश करना होगा।

अपील के ज्ञापन की अर्न्तवस्तुयें → सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 1 (2) के अनुसार यह स्पष्ट है कि-

(क) अपील का ज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए।

(ख) अलग-अलग शीर्षकों में होना चाहिए।

(ग) क्रम में संख्यांकित होना चाहिए

(घ) अपील की गई डिक्री पर आपत्ति के आधारों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ङ) तर्कों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

P2 अपील का ज्ञापन (Memorandum of Appeal)

अपील के आधार → न्यायालय के समक्ष अपील के केवल उन्हीं आधारों पर और दिया आयगा जिनका उल्लेख अपील में किया गया है। अपील में वर्णित आधारों से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायगी। किन्तु न्यायालय अपील में वर्णित आधारों तक ही सीमित रहने के लिए बाध्य नहीं होगा। आदेश 41 नियम 2 में अपील पर विनिश्चय देने से पूर्व विरोधी पक्षकार को अपील के आधारों का समुचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।

अपील के ज्ञापन का पंजीकरण → अपील का ज्ञापन ग्रहण कर लिए जाने पर अपीलीय न्यायालय या उसके किसी अधिकारी द्वारा उस पर प्रस्तुत किये जाने की तारीख का पृष्ठांकन किया जायगा और उसे विहित रजिस्टर में पंजीकृत किया जायगा और उसे विहित रजिस्टर में पंजीकृत किया जायगा। ऐसा रजिस्टर "अपीलों का रजिस्टर" कहलायगा। आदेश 41 नियम 9 में अपील के ज्ञापन का पंजीकरण करने का प्रावधान है

सुनवाई की प्रक्रिया → आदेश 41 नियम 16 में सुनवाई की प्रक्रिया का उल्लेख व प्रावधान किया गया है इसके अनुसार –

(1) अपील की सुनवाई हेतु नियत दिन को न्यायालय द्वारा अपील कर्ता को सुना जायगा तथा

(2) अपील को तुरंत खारिज नहीं किये जाने की दशा में Respondent को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायगा

अपील का निस्तारण → दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा किया जायगा। जहाँ अपील ग्रहण कर ली गई हो और उसे सुनवाई में रख लिया गया हो, वहाँ उसे on default में खारिज नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ऐसी अपील का अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में on merits पर निपटारा नहीं किया जा सकेगा।

अपील में निर्णय → (i) खुले न्यायालय में सुनाया जायगा तथा

(ii) उसी दिन या अगले किसी दिन सुनाया जा सकेगा, लेकिन उसकी सूचना पक्षकारों को देनी होगी।

अपील के निर्णय में अनुचित अथवा अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए

Scanned with CamScanner

P-1 | R.M.M. Law College - Saharsa
Manmendra Mandal | Subject - Drafting and Pleading
part time Lecturer | part - II

वाद-पत्र में संशोधन के उद्देश्य

संशोधन न्यायहित में एवं वादों की बाहुल्यता को रोकने के लिए आवश्यक है। निच्छलभाई वल्लभभाई बनाम जसवन्त लाल के वाद में दिये गये निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि अभिवचनों में संशोधन करने करने की अनुमति प्रदान करने के नियम का उद्देश्य मुकदमों की विविधता (multiplicity) को टालना (avoid) है। उच्चतम न्यायालय ने स्थुतिलक बनाम रैयप्पन (2001) के केस में इसी बात पर जोर देते हुए फिर कहा कि संशोधन की अनुमति प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना है, क्योंकि अन्यथा यह संभव है कि जिस बात को संशोधन के द्वारा कहा जा सकता है उसे नया वाद दायर करके कहना पड़ेगा। वाद में संशोधन हो जाने पर यथार्थ न्याय होने में सहायता मिलती है। जैसा कि अनेक मुकदमों में धारण किया जा चुका है कि प्रक्रिया (procedure) के नियमों का केवल एक ही उद्देश्य होता है- न्याय करने के कार्य को सुविधा जनक बनाना।" The rule of procedure have no other aim than to facilitate the task of doing Justice उसका उद्देश्य पक्षकारों के अधिकारों का फैसला करना है न कि उसके द्वारा की गई त्रुटियों के लिए उन्हें दण्डित करना। The object of Courts and rules of procedure is to decide the rights of the parties and not to punish them for their mistakes." इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह धारण किया गया है कि सी० पी० सी० के आदेश 6, नियम 17 का उद्देश्य यह है कि न्यायालय को वादों के ऐसे गुण दोषों का परीक्षण करना चाहिए जो कि उनके सामने आये और परिणाम उन्हें उन सब संशोधनों की अनुमति दे देनी चाहिए जो कि पक्षकारों के बीच वास्तविक विवादग्रस्त प्रश्नों को तय करने के लिए आवश्यक हो, बशर्ते कि इसमें विपक्षी पार्टी के साथ अन्याय न हो रहा हो। जे जे राम के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "The power to grant amendment of the pleadings is intended to serve the ends of Justice."

Scanned with CamScanner